राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.17(3) नविवि/नियम/2020 जयपुर, दिनांक 26 NOV 2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.01.2020 तथा दिनांक 24.09.2020 के द्वारा नगरीय निकायों में नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए बिना मौका निरीक्षण केवल दस्तावेजों के आधार पर नाम हस्तान्तरण के आदेश दिये गये हैं और इस आदेश की अवहेलना कर मौके पर जाने वाले और उसे मौके पर भेजने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं।

इसी क्रम में ज्ञात हुआ है कि लीजडीड निष्पादन (रजिस्ट्री) के समय, विक्रय स्वीकृति एवं रहन अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी करते समय भी मौका निरीक्षण करवाया जाता है, जबकि नियमों में इसकी अपेक्षा नहीं है।

अतः सभी नगरीय निकायों (प्राधिकरणों/न्यासों/नगरपालिकाओं/नगर निगमों/नगर परिषदों) को यह निर्देश दिये जाते हैं कि लीजडीड निष्पादन(रजिस्ट्री) विक्रय स्वीकृति एवं रहन अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) के मामलों में भी मौका निरीक्षण नहीं किया जाये और केवल दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर कार्य निष्पादन कर लिया जावे। उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा इन आदेशों की अवहेलना करने एवं मौके पर जाने वाले और उसे भेजने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

26-11-2020
सहायक शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner